न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-171RAAJodhpur2022-72RTA223 Aasuram ors Vs Fakirram etc

01. आसुराम पुत्र श्री माणकराम
02. तोलाराम पुत्र श्री माणकराम
03. अमराराम पुत्र श्री माणकराम
सभी जातियान् मेघवाल, निवासीगण– ग्राम होपारड़ी, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर, वर्तमान जिला फलोदी।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

1. फकीरराम पुत्र राऊराम
2. नखताराम पुत्र राऊराम
3. लक्ष्मणराम पुत्र राऊराम
4. बंशीलाल पुत्र राऊराम
5. पुखराज पुत्र राऊराम
6. देदाराम पुत्र राऊराम
7. विशनाराम पुत्र राऊराम
8. रेखुराम पुत्र गोकुलराम
   सभी जातियान् मेघवाल, निवासीगण– ग्राम होपारड़ी, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर, वर्तमान जिला फलोदी।
9. तहसीलदार फलोदी, जिला जोधपुर, वर्तमान जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08 नवंबर 2021 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 01/2021 फकीरराम व अन्य बनाम आसुराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री बांकाराम चौधरी, अधिवक्ता–रेस्पोडेंट संख्या एक से सात
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या नौ

निर्णय

दिनांक : 21 जनवरी 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 01/2021 अनवान फकीरराम व अन्य बनाम आसूराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08 नवंबर 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 09 मई 2022 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से सात ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 69 रकबा 103 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं. 69/2 रकबा 8 बीघा, खसरा नं. 69/3 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा ग्राम होपारड़ी तहसील फलोदी के संबंध में धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 08 नवंबर 2021 के जरिये वाद स्वीकार कर विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने का आदेश दिये, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रकरण विचारण न्यायालय में प्रकरण प्रतिवादीगण की तामील हेतु लंबित चल रहा थ लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण की तामील पूर्ण किये बगैर ही पत्रावली को केम्प कोर्ट में ले जाकर निस्तारण कर दिया, जबकि मामले में किसी तरह का कोई राजीनामा प्रस्तुत नही हुआ है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर तामील प्रक्रिया पूर्ण किये बिना तथा उन्हें साक्ष्य प्रस्तुति एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किये जाने से वे विचारण न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष नहीं रख सके। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किये जाने से अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की जानकारी समय पर नहीं हो सकी। हाल ही में पटवारी हल्का मौके पर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने आया तो उसके द्वारा अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित होने की जानकारी दी गई। तब अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय से नकले प्राप्त कर जानकारी से अंदर म्याद हस्तगत अपील प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जांकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 01/2021 अनवान फकीरराम व अन्य बनाम आसूराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08 नवंबर 2021 को अपास्त फरमाया जावे एवं मामला विधिक प्रक्रिया अपनाकर निस्तारित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने के बावजूद भी वे विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। विचारण न्यायालय द्वारा राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है। विचारण न्यायालय जमाबंदी में दर्ज हिस्सों में किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया गया है। अपीलांट्स द्वारा विलंब का कोई संतोषजनक कारण नहीं बतलाया गया हैं। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन एव म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट्स वादग्रस्त आराजीयात के रेकर्डेड सहखातेदार काश्तकार दर्ज है। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली को प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 केम्प कोर्ट होपारड़ी में रखे की सूचना/नोटिस अपीलांट्स को दिये जाने का अंकन विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुति तथा सुनवाई का

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किये जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिसम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 01/2021 अनवान फकीरराम व अन्य बनाम आसूराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08 नवंबर 2021 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुति एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत मामले विधिनुसार पुनः निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर